प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) के वित्तीय निष्पादन का समग्र चित्रण प्रस्तुत करता है जैसा कि 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के लेखापरीक्षा परिणामों में परिलक्षित हुआ। प्रतिवेदन समय-समय पर यथा संशोधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अंतर्गत राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

2. सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 एवं 143 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, सरकारी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जिसमें प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों के द्वारा धारित हो तथा इसमें ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारित या नियंत्रित अन्य कम्पनी[1] को सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) ऐसी कंपनियो के लेखो को प्रमाणित करते है, जोकि सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन है। सीएजी सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अपनी टिप्पणी प्रदान करते है अथवा उसे पूरक करते है। कंपनी अधिनियम, 2013 सीएजी को कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा करने के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान करने का अधिकार देता है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा व्यवस्था उनके संबंधित अधिनियमों के अन्तर्गत निर्धारित की गई है जिनके माध्यम से इन निगमों की स्थापना की गई है।

3. यह प्रतिवेदन राजस्थान राज्य में 38 सरकारी कम्पनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों एवं तीन सांविधिक निगमों को सम्मिलित करते हुए 45 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) के निष्पादन से संबंधित है जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन है।

4. सीएजी एक निगम, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के एकमात्र लेखापरीक्षक है। सीएजी को विधान के अंतर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा करने के पश्चात,

---

1 कारपोरेट मामलों का मंत्रालय-कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) सातवां आदेश, 2014 दिनांक 4 सितम्बर 2014।

राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम एवं राजस्थान वित्त निगम के संबंध में अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।

5. इस प्रतिवेदन में समीक्षित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) के लेखे वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (यथा प्राप्त) से सबंधित है। राजकीय उपक्रमों के संबंध में जहाँ किसी विशिष्ट वर्ष हेतु लेखे 30 नवम्बर 2021 से पूर्व प्राप्त नहीं हुए थे, के संबंध में अंतिम लेखापरीक्षित लेखो से आंकड़े लिये गये हैं।

6. इस प्रतिवेदन में 'सरकारी कंपनीयो/निगमों अथवा राजकीय उपक्रमों' के समस्त संदर्भों को 'राज्य सरकार के कंपनीयो/निगमों' को उल्लेखित करने हेतु किया जा सकता है।